भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 237

जिसका उत्तर 08.12.2022 को दिया जाना है

पुराने वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

237. श्री प्रताप सिम्हा:

श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और देश में ऐसे वाहनों पर कोई कर/जुर्माना लगाने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार और वाहन-वार कुल कितने वाहन हैं;

(ग) क्या इस तरह के कर/जुर्माने की राशि पूरे देश में एक समान होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके लिए निर्धारित दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पुराने वाहनों पर कर लगाने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वाहन मालिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क), (ग) और (घ) 1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा. का. नि. अधिसूचना 845(अ), दिनांक 24.11.2022 जारी की है, जिसमें पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद सरकारी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण न करने का प्रावधान है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में दिनांक 29.10.2018 के आदेश द्वारा एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि दिनांक 07.04.2015 के एनजीटी के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

3. इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रोत्साहन / हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के तहत नियम जारी / संशोधित किए गए हैं। निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है:-

(i) सा. का. नि. अधिसूचना 653(अ), दिनांक 23.09.2021 के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(ii) सा. का. नि. अधिसूचना 652(अ), दिनांक 23.09.2021 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(iii) सा. का. नि. अधिसूचना 714(अ), दिनांक 04.12.2021 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में और संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(iv) सा. का. नि. अधिसूचना 720(अ), दिनांक 05.10.2021 'निक्षेप प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान करती है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(v) सा. का. नि. अधिसूचना 166(अ), दिनांक 28.02.2022 में मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण चिह्न की वैधता को वाहनो पर प्रदर्शित करने के तरीके का प्रावधान किया गया है।

(vi) सा. का. नि. अधिसूचना 272(अ), दिनांक 05.04.2022 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी और

(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।

(vii) सा. का. नि. अधिसूचना 695(अ), दिनांक 13.09.2022 में मोटर यान (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियमावली, 2021, जिसे पहले सा. का. नि. 653(अ), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 13 सितंबर, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(viii) सा. का. नि. अधिसूचना 797(अ), दिनांक 31.10.2022 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियमों में संशोधन के लिए केंद्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2022 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 31 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(ख) इस समय राज्य और वाहन प्रकार-वार देश में वाहनों की कुल संख्या अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

'पुराने वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध' के संबंध में श्री प्रताप सिम्हा,श्री डी. एम. कथीर आनन्द, श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 237 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य का नाम	2ड ब्ल्यू आई सी	2ड ब्ल्यू एन	2ड ब्ल्यू टी	3ड ब्ल्यू एन	3ड ब्ल्यू टी	एल एम वी	एल पी वी	एल जी वी	4 डब्ल्यू आई सी	एम एम वी	एम पी वी	एम जी वी	एच जी वी	एच एम वी	एच पी वी	अ न्य	कुल जोड़
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	109,880	851	35	5,027	30,169	4,220	3,662	0	34	49	233	1,621	12	309	176	156,278
2	आंध्र प्रदेश	6	7,447,389	1	403,062	663	1,021,415	156,584	216,227	187	16,757	8,107	18,318	161,214	2,773	13,056	4,443	9,470,202
3	अरुणाचल प्रदेश	1	150,188	2	2,524	3,939	90,267	5,262	9,900	1	294	411	1,014	9,678	474	4,073	1,624	279,652
4	असम	2	3,443,394	6	190	214,135	894,364	61,978	270,973	5	336	4,053	12,517	84,493	1,214	10,253	4,843	5,002,756
5	बिहार	398	8,586,249	89	76	559,782	697,312	120,328	729,265	34	3,178	12,129	20,758	187,321	296	28,122	3,550	10,948,887
6	चंडीगढ़	13	410,117	42	0	13,166	367,315	2,946	11,100	111	117	1,241	924	1,790	56	1,592	853	811,383
7	छत्तीसगढ़	82	5,637,595	11	194	71,316	923,374	37,829	233,712	86	767	3,723	9,220	173,681	318	7,125	31,617	7,130,650
8	दिल्ली	169	8,819,295	29	69	456,968	3,981,964	185,560	297,068	578	82	527	20,754	53,034	7	50,735	1,666	13,868,505
9	गोवा	188	743,257	27,441	99	3,553	318,545	31,172	30,775	55	622	1,087	4,261	18,289	213	1,087	1,087	1,181,731
10	गुजरात	8,816	15,357,301	499	553	847,510	4,444,217	102,421	588,186	5,843	16,534	13,199	69,259	352,550	8,808	26,770	47,600	21,890,066
11	हरियाणा	49	7,301,504	3,613	210	238,886	3,190,965	124,059	260,357	358	13,353	16,570	48,290	336,173	3,347	32,385	82,168	11,652,287
12	हिमाचल प्रदेश	67	1,091,328	1,822	27	9,948	685,499	60,522	134,402	51	2,316	3,136	13,795	73,687	1,443	10,869	4,675	2,093,587
13	जम्मू और कश्मीर	1,859	1,016,461	0	36	47,403	679,602	49,211	74,213	12	126	5,292	4,371	47,583	347	5,533	17,858	1,949,907
14	झारखंड	2	5,131,407	2	128	245,227	740,864	89,400	344,772	17	430	3,729	17,174	159,914	404	5,446	5,187	6,744,103
15	कर्नाटक	18,043	20,761,858	31,731	14,895	964,396	5,208,612	475,696	803,948	1,012	8,797	20,743	102,765	457,252	3,639	97,923	38,771	29,010,081
16	केरल	10,957	10,687,518	8,474	132,657	897,669	3,755,685	219,987	400,083	1,164	8,305	12,344	62,258	98,240	6,788	50,883	17,846	16,370,858
17	लद्दाख	4	3,699	2,840	0	6	19,997	6,284	4,373	0	11	402	333	1,978	38	200	452	40,617
18	मध्य प्रदेश	86	607,689	0	0	0	125,983	1,820	0	1	214	0	0	0	10	0	48	735,851
19	महाराष्ट्र	6,051	23,801,703	96	33,696	876,906	6,315,944	346,818	884,549	2,193	16,085	22,944	85,867	477,790	6,811	48,528	110,812	33,036,793
20	मणिपुर	1	343,072	0	2,379	18,117	132,097	5,479	13,138	2	321	416	1,639	7,990	476	806	844	526,777
21	मेघालय	0	193,375	0	75	18,605	179,980	31,702	31,506	8	245	531	6,976	22,556	171	410	5,068	491,208
22	मिजोरम	6	215,511	3,317	5	7,983	64,798	12,533	20,259	1	167	240	1,789	7,108	71	212	2,884	336,884
23	नगालैंड	0	71,641	277	0	11,405	108,750	6,646	19,600	1	5,059	487	2,760	161,328	5,105	2,291	5,170	400,520

क्र. सं.	राज्य का नाम	2डब्ल्यूआईसी	2डब्ल्यूएन	2डब्ल्यूटी	3डब्ल्यूएन	3डब्ल्यूटी	एलएमवी	एलपीवी	एलजीवी	4 डब्ल्यूआईसी	एमएमवी	एमपीवी	एमजीवी	एचजीवी	एचएमवी	एचपीवी	अन्य	कुल जोड़
24	ओडिशा	339	8,205,640	136	383	273,594	809,870	132,020	542,731	36	4,531	7,030	24,524	259,068	2,897	9,533	8,178	10,280,510
25	पुदुचेरी	228	1,078,529	5	146	7,761	170,460	6,224	19,422	10	28	641	1,428	3,812	24	5,827	3,375	1,297,920
26	पंजाब	88	9,279,162	291	2,226	113,053	2,364,353	82,653	315,398	163	2,724	6,741	16,551	163,394	859	12,556	418,351	12,778,563
27	राजस्थान	2,674	13,191,846	17,081	79	284,651	3,513,040	170,745	432,249	447	4,029	16,727	14,179	397,568	3,174	50,714	39,449	18,138,652
28	सिक्किम	0	25,913	143	0	0	48,204	19,632	3,681	0	41	293	842	3,497	38	126	323	102,733
29	तमिलनाडु	19,860	23,929,158	11	16,579	589,935	3,915,477	425,351	895,684	1,289	23,664	29,803	107,345	467,321	25,353	114,020	61,153	30,622,003
30	त्रिपुरा	13	491,562	0	16	60,379	77,389	11,542	26,550	1	174	922	3,254	11,946	114	1,117	1,494	686,473
31	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	9	222,905	64	1,151	3,994	95,760	1,808	10,761	1	239	398	5,181	17,978	53	506	717	361,525
32	उत्तर प्रदेश	1,992	33,705,436	4,375	1,276	1,029,271	6,005,179	221,692	616,344	600	9,777	37,935	48,895	430,047	3,214	82,901	20,474	42,219,408
33	उत्तराखंड	146	2,503,905	3,497	7	69,959	710,643	73,366	82,394	95	379	6,208	14,623	54,949	179	13,358	2,664	3,536,372
34	पश्चिम बंगाल	84	11,038,313	55	139	261,636	1,997,532	226,959	607,688	18	1,496	15,542	43,463	378,117	1,302	55,357	20,697	14,648,398
कुल जोड़		**72,233**	**225,603,800**	**106,801**	**612,912**	**8,206,843**	**53,685,625**	**3,510,449**	**8,934,970**	**14,380**	**141,232**	**253,600**	**785,560**	**5,082,967**	**80,028**	**744,623**	**966,117**	**308,802,140**

नोट:-

1. वाहन श्रेणी का संक्षिप्त नाम इस प्रकार है:

वाहन श्रेणी	**विवरण**
2डब्ल्यूआईसी	दुपहिया वाहन (अमान्य कैरिज)
2डब्ल्यूएन	दुपहिया (एनटी)
2 डब्ल्यूटी	दुपहिया (टी)
3 डब्ल्यूएन	तिपहिया (एनटी)
3 डब्ल्यूटी	तिपहिया (टी)
4 डब्ल्यूआईसी	चार पहिया (अमान्य कैरिज)

एचजीवी	भारी माल वाहन
एचएमवी	भारी मोटर वाहन
एचपीवी	भारी यात्री वाहन
एलजीवी	हल्का माल वाहन
एलएमवी	हल्का मोटर वाहन
एलपीवी	हल्का यात्री वाहन
एमजीवी	मध्यम माल वाहन
एमएमवी	मध्यम मोटर वाहन
एमपीवी	मध्यम यात्री वाहन
अन्य	उपरोक्त उल्लिखित के अलावा अन्य

2. दिया गया विवरण 29.11.2022 को केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुसार डिजीटल वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं; आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाहन में जाने की प्रक्रिया में हैं और ऊपर दर्शाए गए आंकडे केवल आंशिक है, जैसा कि वाहन डेटाबेस में उपलब्ध है। इसके अलावा, तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकडे ऑनलाइन वाहन डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए नहीं दिए गए हैं।

*****